से जुड़ी हुई है। 1976–77 की कृषि संगणना के अनुसार यह कुल जोतों का 72.7 प्रतिशत है और खेती वाली कुल भूमि का 23.5 प्रतिशत बैठता है। जहां तक खाद्यन्नों का संबंध है, जिस क्षेत्र में खाद्यन्नों की खती की जाती है, उसके 29.3 प्रतिशत भाग में छोटे और सीमान्त किसान खेती करते हैं।

(ख) छोटे और सीमांत किसानों की खेती को बेहतर बनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने की एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है, ताकि छोटे और सीमांत किसान लघु सिंचाई कार्यों, भूमि विकास कार्यों और उन्नत बीजों, उर्वरकों के मिनिकिटों आदि के उपयोग से अपना उत्पादन बढ़ा सकें। यह योजना देश के 5047 आई0 आर0 डी0 खण्डों में से प्रत्येक के लिए मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य फसल-विशेष, केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनके अंतर्गत राज्यों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जिसमें छोटे और सीमांत किसान भी शामिल हैं, केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में खामियां

465. **श्री सत्यपाल मलिक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के हाल के मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या-क्या खामियां पाई गई ; और

(ख) उन खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) निम्नलिखित खामियां पाई गई हैं :—

(1) लाभार्थियों में सदैव निर्धनतम व्यक्ति ही शामिल नहीं होते।

2. आर्थिक सहायता देने में विलम्ब तथा लाभार्थियों को पूरी राशि न मिलने की शिकायतें भी थीं।

3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियां कभी-कभी स्थानीय परिस्थितियों के पूरी तरह अनकूल नहीं होतीं।

4. ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त कुशलता को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई परिसम्पतियों के साथ सम्बद्ध करने में कुछ गुंजाइश प्रतीत होती है।

(ख) कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित किया जा रहा है तथा इन कमियों को दूर करने हेतु वर्तमान पद्धति का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूं का खुले में पड़े रहना

466. **श्री सत्यपाल मलिक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदने के बाद इस वर्ष हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कितना गेहूं ढुलाई न होने के कारण खुले में पड़ा रहा; और

(ख) गेहूं के खुले में पड़े रहने के परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 31–5–1985 तक उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में खुले भण्डारण में पोलीथीन की चादरों से ढक कर 21.20 लाख मीटरी टन गेहूं रखा गया था। इस स्टाक को हानि से बचाने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं।

(ख) इस समय इस स्टाक की हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।